न्यायालयःद्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर
जे0 ओ 0 कोड– यूपी–2240
सीएनआर संख्या– यूपीजीबी 041942902022
रजि संख्या –1728/2022

प्रार्थना पत्र संख्या–123/2022
शिवा शर्मा बनाम तरूण सिंह आदि
धारा–156(3) दं0 प्र 0 सं0
थाना–सैक्टर–58
जिला–गौतमबुद्धनगर

दिनांक–30.06.2022

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र धारा–156(3) द 0 प्र 0 सं0 पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र धारा–156(3) द 0 प्र 0 सं0 में प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थीया शिव शर्मा पत्नी शशिकान्त शर्मा निवासी आर. – 11/60, राजनगर गाजियाबाद द्वारा प्रीमिया कॉरपोरेट सिटी, प्लॉट नं० सी–2 / 1 ए / 10, सैक्टर 62 नौएडा, उत्तर प्रदेश के यहाँ 150 वर्ग फीट एरिया की एक बिजनेस सैन्टर कम ऑफिस बुक कराया था तथा प्रीमिया के एम. डी. तरून सिंह व अन्य कर्मचारी द्वारा उक्त बिजनेस सैन्टर को बुक कराते समय यह आश्वासन दिया गया था कि हम पिछले काफी समय से दिल्ली व नौएडा में इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे है। आप भी हमारे यहाँ रूपयें इन्वेस्ट करो। उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा बुक किये गये ऑफिस हेतु समय समय पर 10,25,387/– रूपये जमा कराये गये। कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य कर्मचारियों द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया था कि आपके द्वारा जो भी धनराशि जमा की जायेगी उस पर 11.5 प्रतिशत के हिसाब से आपको रुपया वापिस किया जाता रहेगा। इन लोगों द्वारा प्रार्थया द्वारा जमा किये गये रुपये का मात्र 18 महीने तक ही रिटर्न में रूपये दिये। इसके बाद इन लोगों द्वारा रूपया देना बंद कर दिया गया। रूपया बंद किये जाने के बाद प्रार्थीया द्वारा इन लोगों से फोन से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु इन लोगों द्वारा फोन नही उठाया गया तब प्रार्थीया अपने पति के साथ इनके कारपोरेट ऑफिस सेक्टर 9 पर पहुँची तो वहाँ कार्यालय पर ताला बंद मिला। इसके पश्चात प्रार्थीया इनके दिल्ली के ऑफिस प्रीमिया स्ट्रैक्चर एल.टी.ओ. रजि० 3/18/4 एफ, ब्लॉक 3 ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली में गई तो वहाँ पर भी मात्र एक गार्ड मिला तथा उसके द्वारा भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। इसके पश्चात से प्रार्थीया द्वारा इन लोगों को काफी खोजा गया किन्तु काफी खोजने के बाद भी इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। ये लोग प्रार्थीया का 10,25,387/– रूपये लेकर ऑफिस बंद कर फरार हो गये है। कम्पनी के मालिक Tarun Shienh व उनके साथ अन्य कर्मचारियों ने मिलकर प्रार्थीया का रूपया हडप कर लिया है तथा प्रार्थीया के साथ धोखाधडी व जालसाजी की है। प्रार्थीया की जानकारी में आया है कि इन लोगों द्वारा और बहुत से लोगों से रूपया ले रखा है। थाने पर इसकी शिकायत किये जाने पर प्रार्थीया की कोई सुनवाई नहीं की गयी। इस संबंध में पूर्व में भी दिनांक 05.03.2018 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर को डाक द्वारा लिखित शिकायत की थी किन्तु पुलिस द्वारा आज तक एम.डी. तरूण सिह व अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है। प्रार्थीया द्वारा इन लोगों से निरन्तर मिलने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु ये लोग प्रार्थीया व अन्य काफी लोगों का रूपया लेकर फरार हो गये है। प्रार्थीया ने उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सैक्टर 58 नोएडा के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु थाना हाजा की पुलिस

ने प्रार्थया की कोई सुनवाई नहीं की अतः प्रार्थना है कि संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जावे कि वह रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोग के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, डाक रसीद, पुलिस आयुक्त की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, रिसीप्ट की प्रति, पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना–सैक्टर–58 की आख्या का अवलोकन किया। संबंधित थाना हाजा की रिपोर्ट के अनुसार थाने पर प्रा0 पत्र के सन्दर्भ में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में धनराशि भुगतान की रसीद दाखिल किया गया है जिसे चैक संख्या 492430 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्राप्त किया जाना दर्शाया गया है। अतः प्रथम दृष्टया यह मामला Criminal breach of trust का कारित होना प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनता प्रतीत होता है, जिसकी सत्यता विवेचना से ही स्पष्ट हो सकती है। तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था श्रीमति अंजूम बनाम उ०प्र० राज्य आदि में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मामले में पुलिस विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। तदानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र धारा–156(3) द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष थाना–सैक्टर–58 को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराये एवं कृत कार्यवाही से न्यायालय को अंदर सप्ताह अवगत कराए। सम्बन्धित थाने के पैरोकार सूचित हो।

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर